28.2.23	पत्रावली पेश [illegible], अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य [illegible] बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 14/3/23 को पेश हो।
14.3.23	पत्रावली पेश [illegible], अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य [illegible] बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 28/3/23 को पेश हो।
28/3/23	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं [illegible] है / पदरिक्त है। अत: पत्रावली दिनांक 28.4.23 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी, माण्डल
25.5.23	पत्रावली मंहगाई राहत कैम्प एवं प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 कैम्प ग्राम पंचायत सुरास मे पेश हुई, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। हुकमीचन्द रोहलानिया उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 15:42:06 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान –सरकार

प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 26/23 प्रा०पत्र

1– श्रीमती आशा देवी D/o मदनलाल W/o शिवकुमार जोशी निवासी–भीलवाड़ा तहसील–भीलवाड़ा

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री कैलाश S/o नन्दा भील निवासी- भील्याखेड़ा तहसील - माण्डल
2. श्री बालमुकन्द S/o छुकनलाल तिवाड़ी निवासी - माण्डल तहसील - माण्डल
3. श्री रामस्वरूप S/o राजमल माली निवासी- मालीखेड़ा अन्तराजपुरा त० माण्डल
4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा० माण्डल तहसील - माण्डल

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक– 25.05.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मालीखेड़ा पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 119, 120 कुल किता 02 रकबा 0.5438 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 30.01.23 को पंजीवद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एव कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मालीखेड़ा पटवार [redacted] सुरास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी न. 119, 120 कुल किता 02 रकबा 0.5438 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक मेजा को 500/- रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुरतकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 15:42:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख ... राशि ... पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023